2834
2898

श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 157/26
हिलसा थाना काण्ड सं0– 45/26

सकलदीप पासवान एवं अन्य.....आवेदकगण
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

18/04/2026 आवेदक (1) सकलदीप पासवान पिता बालेश्वर पासवान, उम्र 35 वर्ष, (2) प्रेम कुमार उर्फ प्रेमकिशन कुमार पिता सोहराय पासवान, उम्र 20 वर्ष एवं (3) सत्य कुमार उर्फ अदालत कुमार पिता श्री पासवान, उम्र 20 वर्ष, सभी साकिनान ब्रह्मस्थान बेलदारी टोला, थाना हिलसा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्यदेव कुमार विभूति द्वारा संचालित किया गया। आवेदकगण हिलसा थाना कांड सं0– 45/26, दिनांक 19/01/26 को भा0न्या0सं0 की धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352 3(5) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में न तो अग्रिम जमानत न ही नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में न ही किसी सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। विद्वान अधिवक्त का आगे कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किए हैं। आवेदकगण पर उक्त वाद में लगाए गए आरोप मनगढंत, बेबुनियाद वो सफेद झूठ है। उक्त वाद में जैसा बताया गया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। पूर्व में खेल में विवाद को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदकगण मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले लोग हैं। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को इस मुकदमा से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदकगण धारा– 482(2) बी0एन0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचक विशाल यादव द्वारा थाना में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 19/01/2026 को सूचक अपने चचेरा भाई गुलशन कुमार यादव के साथ अपने मोटर साइकिल से पटना से ड्यूटी कर अपने घर आ रहा था। तभी समय करीब 6 बजे शाम में पूर्व में भाई के साथ खेलने के विवाद को लेकर ब्रह्मस्थान स्कूल के पास पूर्व से घात लगाए बैठे सकलदीप पासवान, हलेन्द्र कुमार सत्य कुमार, प्रेम कुमार एवं चार अज्ञात सभी मिलकर सूचक के गाड़ी रोक कर गाली–गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर हलेन्द्र और सकलदीप अपने हाथ में लिए लोहे के रॉड से सूचक और भाई गुलशन के सर पर बार–बार मारा, जिससे सर फट गया तथा सूचक के भाई का भी सर फट गया। सकलदीप, हलेन्द्र और सत्या सूचक के पास से 35,500/– रु0, सोने का बजरंगवली का लॉकेट, दो मोबाईल और घड़ी लेकर भाग गए। आस–पास के आदमी तथा घर के आदमी आकर सूचक को अनुमंडलीय अस्पताल में लाया जहाँ से एन0एम0सी0एस0 पटना के लिए भेज दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके भाई के साथ लोहे के रॉड से मारपीट करने एवं सर पर बार–बार मारकर

अग्रिम जमानत आवेदन– 157/26
<u>हिलसा थाना काण्ड सं0– 45/26</u>

जख्मी कर देने का आरोप लगाया गया है तथा 35,500/– रु0 मोबाइल एवं सोने का लॉकेट भी छीनने का आरोप लगाया गया है। इस वाद में आवेदक सकलदीप पासवान मर मारपीट करने का विशिष्ट आरोप है तथा अन्य आवेदकगण पर उसका सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 12, 13, 14, 28 एवं 29 का अवलोकन किया, जिसमें स्वतंत्र साक्षी तथा जख्मी साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न जख्मी गुलशन कुमार एवं जख्मी विशाल कुमार के जख्म पत्र का अवलोकन किया। दोनों जख्मियों के सर पर जख्मों की पुनरावृत्ति है, जो सभी Lacereted Wound एवं Abrasion का भी जख्म है, जो वादी एवं जख्मी साक्षियों के बयान को समर्थित करते हैं। एक जख्मी को इलाज हेतु उच्च चिकित्सीय संस्थान एन0एम0सी0एच0 पटना भेजा गया है। काण्ड अभी अनुसंधान के क्रम में है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत को **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

श्री दीपक कुमार यादव
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)